

1
9
2
0

Himachal Government Judicial Paper

कसीका: किमत अस्ताम्य: किता अस्ताम्य: सतरे: हफ्तः
 "रेहन नामा" 825/- आठ 138 1380
 500x1, 100x1, 50x4, 20x1, 5x1=825/-

यह सम्झौता आज 27 अप्रैल सन् 1991 को

महेश्वर राय अग्रवाल शर्मा श्री शंकर लाल साठेपथ पुत्र श्री महेन्द्र राय
 आयु 34 वर्ष कार्य दावा निवासी
 चण्डी आना जिला सोनी जिल्हो आगे

बन्धक रेहन रखे वाला कहा गया है जिसमे उसके उत्तरदायित्व, मूक का उत्तर साधक, दाखिल है सिवाये विशेष तौर पर निकाले गये प्रथम पार्टी तथा 50 कोटि रुपय के कारपोरेशन संस्था बैंकिंग कम्पनोज़ आर्डीनिन्स 1970 एक्वीजीशन तथा ट्रस्टिफ आफ अडरटेकिंग जिसका क प्रधान कार्यालय 10 बारबोरन रोड कलकता में है तथा इसका ब्रांच कार्यालय चण्डी में है, जिसको आगे के कहा गया है जिसमे इसके संचालक, कानूनी उत्तरदायी शामिल है विशेष तौर से निकाले गये दूसरी पा-टी :

जो कि :

1. बन्धक रेहन रखे वाला पुरा मालिक तथा हक्दार स्थान चण्डी तहसील चण्डी उपखण्ड चण्डी जिलावर सोनी है जिसका विवरण नीचे की नामावली में दे रख है तथा यह स्थान किसी भी प्रकार के भार से रहित है ।

2. बन्धक रेहन रखे वाले ने के से पुराता की है कि के ने बन्धक को 50,000/- (पचास हजार रुपय) केवल

पृष्ठः 2 :-

यूनिटेड कमर्शियल बैंक
 or United Commercial Bank
 प्रबन्धक
 Manager

रकम ₹ 50,000/- के कार्यालय उप पंजीकरण

के लिए ₹ 10,000/-

सुप्रासक

Sub-Registrar
Anchalgarh, District Solan (H.P.)

(संकेत)

अस्तित्व में रहने के लिए, जहाँ से यह प्रमाणित है,

यह विषय पुत्र/पुत्री
निवासी (.....) परगना (.....) उप महकिल
एक एक के नाम विनाश १२६९/१ लगातार
को दिए जायेंगे कि उप पंजीकरण
में किया

Sub-Registrar
Anchalgarh, District Solan (H.P.)

Himachal Government Judicial Paper

-: 2 :-

शुण दिए है/देने स्वीकार किए है जिसकी शर्तें नीचे लिखी है तथा बन्धक को स्वीकार कर पर कि शुण का मुल्कन तथा व्याजका जर्जा आदि का वह जम्मेदार है तथा स्वीकार करता है कि जो फसल तैयार हो या फिर उगाई जाए या कटी हुई हो या बन्धक के गोदाम में या उसके कब्जे में है, जैसे नीचे लिखा गया है। यह सम्झौता इस बात का पुमाणित है कि :-

1. उमर लिखे सम्झौते के आधार पर बैंक के 50,000/- अन्तिम रुपयें बन्धक को शुण देने के बदले, बन्धक बैंक के साथ 50,000/- जो शुण दी खवन करता है कि वह बैंक को उमर लिखी रकम 50,000/- जो शुण दी गई है या देनी स्वीकार की गई है नीचे लिखी किस्ते मासिक, मासिक, मासिक किस्तों में वापिस कर देगा।

- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 1. | रकम | तिथि |
| 2. | C 60 अर्थात् किस्तों में दे देगा) | |
| 3. | | |

तथा व्याज रकम या बाकी रकम तथा व्याज 4%
प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बैंक के निधारित व्याज के अतिरिक्त
कम से कम 14 प्रतिवर्ष, मासिक, मासिक, मासिक किस्तों में पुरा करेगा। यह व्याज मासिक, मासिक, मासिक किस्तों में जमा कराना होगा, अगर बन्धक ने इसके देने में कोई कसर किया तो व्याज की रकम मुल्कन में शामिल कर दी जायेगी तथा वह उन किस्तोंके द्वारा लिया जायेगा
111 111 बैंक बन्धक को समय समय पर प्रनोट लिखना कर शुण दे

पृष्ठ: 3 :-

For United Commercial Bank
प्रबन्धक

इस विलेख का चयन - दर - बाहर पेनाल्टी
को निम्न लिखित गवाहों के अग्रे प्रस्तुत कर
गुनाया व समझाया गया, जिसे पुनः वसूल
कर उस ने इस के निष्पत्ति को लही स्वीकार
किया।

पेशकर्ता ने मु..... को पहले ही क्रॉस
प्राप्त करने स्वीकार किया जब कि मु.....
..... अपने अपने समक्ष क्रॉसों को
इस प्रकार किया जिस विकरेता ने वसूल कर लेता
..... किया।

~~CHRS~~ से मैं स्वयं परिचित हु
किस प्रकार कि दूसरे गवाहों की भी पहचान
..... अतः विकरेता पंजीकृत होंगे।



Sub-Registrar
Srinagarh, District Solan (H.P.)

रानी शम्भो



Dommed

रहेगा परन्तु यह रकम 501000/- रूपये से अधिक नहीं होगी ।

§2§ बन्धक § रहन § रखने वाला सभी प्रकार से खर्च § सभी खर्च मुजतार तथा ग्राहक के बीच § जो बैंक को रकम की सुरक्षिता के लिए करने पड़े या जो कोई कर्तव्यवहिरा कार्यवाही पर करने पड़े या बैंक से हो जो उसे रकम की प्राप्ति के लिए करने पड़े या रकम प्राप्ति की कोशिश के लिए करने पड़े जो भी खर्च हो, उठा कर देगा, जब तक गिरवी जायदाद हापिस नहीं होती । आगे इसकी सभी क्षतिपूर्ति तथा खर्च कहा गया है ।

§3§ उपर लिखे वायदे के अनुसार, बन्धक अपनी सारी ज़मीन, जिसकी सुचि, नीचे है, जिसमें मकान, इमारत, मत्वा जो वहाँ हो या आगे से हो, फसल जो खड़ी हो, या आगे से हो, बोया हो, या आगे बीजा जाये, काट कर खेत में पड़ा हो या बन्धक के गोदाम में पड़ा हो, जिसमें शामिल सारी मशीनरी सामान, बिकली के पम्पिंग सेट, इंजन, तेल का स्टोक, खाद, बीज, कीड़े मारने का सामान दवाईयां, हाजिर या आगे वाले § जो बन्धक के हो या उसने खरीदने हो जो प्रयोग किये जाते हो या प्रयोग किये जाने हो पैदावार के लिए, बाग, वृक्ष रास्ते आदि जो कुछ वहाँ हो किसी प्रकार से बन्धक से सम्बन्धित हो या बन्धक के कहे जाते हो सारे कानूनी अधिकार जो बन्धक के हक में हो या और किसी के उसके द्वारा हो, उसके सारे अधिकार बैंक के श्रण के बारे में, श्रण व्याज और खर्च आदि के लिए बैंक के पास अमानत रखता है ताकि वह रकम सुरक्षित रहे जो बैंक ने बन्धक को श्रण दी है या देनी है या उस पर जो व्याज पड़ना है बैंक का खर्च होना है जो बन्धक के नाम दाखिल होनी है या और कर्जे खर्च जो उस पर पड़ने है या बन्धक की प्रार्थना पर और कर्जे देने हो जो उस पर पड़ने हो जिन्के लिए वह स्वयं या कंपनी की ओर से या जामन जिम्मेवार होवे ।

§4§ बन्धक बैंक से और ज्वन करता है :-


§1§ बैंक से दी गई रकम या दी जाने वाली रकम इस मकलब के लिए पृष्ठ-: 4 :-

State Bank of India
or United Commercial Bank

प्रबन्धक
Manager

Handwritten mark or signature on the left side of the page.

प्रमाणित किया जाता है कि विलेख सो. 44
दिनांक 22.4.91 पंजोक्त हो कर वही सो. 1
के खण्ड सो. 2 के पृष्ठ सो. 8 पर
दज हथ्या तथा प्रति अतिरिक्त वही सो. 1
के भाग संख्य 8 के पृष्ठ सो. 93
से 142 तक अस्था तिये गये तथा अन्य
कागजात अनुपूरक वही संख्या के पृष्ठ 35 पर
सो. 68 तक चला किये गये।


Sub-Registrar
Bishangarh, District Solan (H.P.)

-: 4 :-

प्रयोग करेगा ।

- 128 1.--- गावा / इमारत या इस्तेमाल गृह कार्या
 2.---
 3.---

तथा और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा ।

138 138 अगर बन्धक किसी और मतलब के लिए रकम इस्तेमाल करेगा तो बैंक और रकम नहीं देना न उसे देने के लिए कहा जाएगा । इस प्रकार के हालात में बैंक की इच्छा होगी ।

139 139 बन्धक अपने खर्चों, फसल मरिनारी आदि बिजली के पापि पत्रिकागै सैट आदि ठीक हालत में रहेगा तथा उन्हें क्षति से बचायेगा ।

140 140 बन्धक बिना लिखी अज्ञात के बैंक की सारी रकम पुरा होने तक ना फसल काटेगा तथा इस प्रकार कटी फसल बैंक या इसके मेंबर के पास जमा करा देगा, तथा बैंक की स्वीकृति बिना बोर्ड फसल अपने कर्जों में नहीं लेगा वह भी फसल के साफ करने पर पैदावार बेचने के लिए ले सकेगा ।

150 150 बैंक इसके नौकर, एजेंट आदि बन्धक को बिना नोटिस दिये, जाच पड़ताल कर सकेगा या जिस जगह बन्धक की पैदावार हो या जहाँ स्टोर में रखी हो उसकी जाच पड़ताल कर सकेगा तथा अगर बन्धक रकम देने में कसूर करें या किसी और फरज को पुरा न करें तो बैंक फसल कर्जों में लेकर, काट कर उठा सकते है, तथा नीलामी द्वारा या सीधा बेच सकेगा, नुस्तान की कोई जिम्मेवारी उन पर न होगी तथा बैंक कानूनी कार्यवाही कर सकता है ।

160 160 इसमें किये गये किसी तराके का बैंक के किसी आदमी, या इसके अधिकार, रकम सुरक्षितता या छिकरी या बन्धक की जिम्मेवारी पर न होगा ।

170 170 बन्धक बैंक से बचन करता है कि वर्तमान मौजूदा या आगे आने वाली फसल पहले या आगे की वारी से वारी रखे जायेगा तथा केवल बन्धक की

पृष्ठ:- 5 :-

[Handwritten signature]

~~4/3/2017~~

[Handwritten signature]

Sub-Inspector
Rishangarh, District Solan (H.P.)

27/4

-: 5 :-

की होगा ।

§8§ बन्धक बैंक को बचन देता है कि सारी जायदाद उसकी अपनी है, केवल उसकी हक है, तथा उसकी पैदावार का पूरा हकदार है ।

§9§ बन्धक इस सम्बन्ध में सारी रकम तथा जर्जा स्वम् देगा तथा इसे सब प्रकार के मुसान से बचायेगा ।

§10§ बैंक बिना किसी स्कावट के, सारी रकम, जर्जा आदि के देने पर बन्धक के नाम लिख सकेगा अगर बन्धक ने स्वम् अदा न किये तो इस प्रकार ।

§11§ बन्धक इस जमानत के चलने तक अपनी जायदाद के सारे कागज, बा बैपाने आदि बैंक के पास रखेगा । बन्धक किसी भी हालत में कागज और किसी को नहीं देगा । इनको इस प्रकार से हस्तमाल नही करेगा । जो बैंक के अधिकार के विरुद्ध हो, जब तक यह रकम चलती है ।

§12§ बैंक किसी प्रकार के मुसान का न जिम्मेदार न जवाब देह होगा, जो बैंक की किसी कार्यवाही या किसी कानून के द्वारा हो ।

§13§ यह जमानत सारे कर्जे रकमें, जिम्मेदारियों बारे चलती सम्झी जायेगी चहहे पहली रकम पूरी हो गई हो या आगे और रकम दी गई हो, चहहे नये हिसाब खोले गये हो या हिसाब में रकम कम या अधिक हो ।

§14 50§ अगर बन्धक ने सारी रकम व्याज के साथ बैंक को न दी, तो बैंक को अधिकार होगा कि गिरवी रखी जायदाद बेच दे तथा हिसाब पूरा कर ले ।

§60§ बन्धक बैंक को और बचन देता है कि अगर गिरवी रखी गयी जायदाद की रकम से बैंक का कर्जा पूरा न हो तो बन्धक बाकी रकम अपनी दूसरी जायदाद से भर देगा तथा बैंक उसके कानूनी उत्तरदाईयों से ले सकेगा ।

§70§ बन्धक तथा दूसरे जिनका कानून द्वारा गिरवी जायदाद में हक हो इस जमानत के समय में अपने खर्च तथा बैंक की सुरक्षिता तथा जायदाद की बेह्तरी

पृष्ठ-: 6 :-

Sub-Region

Director, Health Services (H.S.)

h/ls

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
2
3
4

-: 6 :-

बेहदारी के लिए काम करेंगे जो उन्हें करने पड़े, ।

§8§ बन्धक बैंक की रकम के विषय में अकाउंटेंट या दूसरे बैंक के क्लर्कों के हस्ताक्षर वाले कागज स्वीकार करेगा, तथा दूसरे कागज पेश करने पर कोई अधिकार नहीं रहेगा ।

§9§ अगर बन्धक ने आज से इस गिरवी के समझ में गिरवी जायदाद में में कोई सुधार किया तो वह भी इस गिरवी का भाग होगा ।

§10.8 यह कि अगर इस जमानके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर बैंक इस पर कोई और कर्ज देता है ।

§11.8 अगर जायदाद में एक एक्जीजीरन्स ऐक्ट या किसी और ऐक्ट के द्वारा ले ली जायेगी तो सारा नुकसान बैंक गन्धक से लेगा । तथा यह रकम बन्धक के नाम लिखी जायेगी या अगर बन्धक ने बाद में रकम ली है तो उसमें जमा होगी जिसका बन्धक जिम्मेदार होगा ।

§12.8 अगर लिखी शर्तों के आधार पर यह समझौता होता है कि अगर बन्धक ~~को~~ तीन किस्में शर्तों की नहीं देता या व्याज की ~~एक~~ ~~को~~ ~~सी~~ ~~में~~ ~~मासिक~~ ~~द्वारा~~ मासिक किस्में नहीं देता या बन्धक इस समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करता या उसकी जायदाद में नुकसान पाया जाये या बैंक के विचार बैंक के विचार में हालात ऐसे है तुरन्त वसूल कर सकेगा । बैंक को अधिकार होगा कि वह मुकदमा कर सकेगा या दूसरी कानूनी कार्यवाही रकम वसुली के लिए करे या भी वचन होता कि बैंक शर्तों ~~द्वारा~~ व्याज वापिस मागने का अधिकार रहेगा और बन्धक इनकार नहीं करेगा ।

पृष्ठ-: 7 :-

प्रबन्धक
Manager

[Handwritten signature]

4/1/20

[Handwritten signature]

Sub-Registrar
Amshangarh, District Solan (H.P.)

2/14

Sub-Registrar
Amshangarh.

Himachal Government Judicial Paper

-: 7 :-

§ 13§ बैंक की तरफ से कोई मुला या कार्यवाही, रकम और व्याज वसुली के विषय में, जो क्वन इस सम्झौते के द्वारा किये गये है या कोई और परिवर्तन किया जाये। उसका कोई भी विरुद्ध प्रभाव बन्धक पर न होगा न बन्धक की लगातार चलने वाली जिम्मेवारी पर होगा और न कानुनी अधिकार पर होगी।

इसकी प्रमाणितता में बन्धक/सॉटिगेजर ने ऊपर लिखे दिन, महीने और वर्ष को हस्ताक्षर कर दिये है।



पृष्ठ:- 8 :-

Commercial Bank
[Signature]
[Stamp]

[Handwritten signature]

45/27

[Handwritten signature]
Sub-Registrar
Tiruchangurh, District Solon (H.P.)
27/4

Sub-Registra
Tiruchangurh

-: 8 :-

यहां पर बन्ध की सारा जयदाद का ब्योरा हो तथा अगर मशीनरी, पट्टिंग स्टैंड आदि भी गिम्बी हो तो उनका भी ब्योरा दिया जाये ।

मशीन खेदर। खेतों की नं० 66/67, खेदर नं० 139, खेदर
खेदर खेदर। (0-1 विद्युत) प्रथम मैला - जमीन, पत्राता
खेदर, खेदर खेदर (जैर-मुठ खेदर)

वेदाह:-
1. श्री चली राज प्रकाश
शुभ प्र
प्रखरी

2. श्री रामचन्द्र
शुभ प्र
प्रखरी

दस्तावेज
बन्धक :
श्रीमान श्रीमान श्रीमान

Commercial Bank
प्रबन्धक
Manager

सहीका नवीन
प्रबन्धक का पता
80 खोपी विद्या बासन (द्वि० नं०)
S.H. 2 / 66
27/4/87

यशदा

[Handwritten signature]

Sub-Registrar
Mehangarh, District Solan (H.P.)

27/4

Sub-Reg
Kishan

नाम नयावनी 1988-89

मौजा जहरी

परगना अडोली

तहसील अडोली


जिला अडोली

तालुका (अडोली)

क्र.सं.	नाम पति या तरफ या नम्बर दार व तादाद म.आमला	नाम मालिक व रेहवाल नाम	कारतकार व रेहावल	नाम चाह व आवपाशी	नम्बर हाय सरा	रकबा हरे खेत व भिजान माता मय फिम अराजी		लगान जो जरा अदा करता है व तफसील शरह व तादाद	हिस्सा व पैमाना हकीयत व तरीका बाह	मुतालबा व शरह मुआमला व हदव	कैफियत
						चौथो मे	मीट्रिक इकाईयो मे				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66		महेश राम पु.स मसही निवासी अडोली	मंगुवा मालिक		139	0-1	जो 2 मुफकीन मालिक			0-02 अडोली 0-01 अडोली 0-01	नोट:- अडोली इलाका खेजल माल 66 का जो भी जोत बादि रही है ताका है। Sub-Registrar A. P. S. 24/4/91
							मुताबिक नाम नयावनी के रकबा का दर्जना 1/3-0-0-0 अडोली 2/4			242 271	
							अडोली अडोली अडोली अडोली				24/4/91

Sub-Registrar
A. P. S.
24/4/91

अडोली अडोली
अडोली अडोली
24/4/91



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Know all men by these presents, I, Sh. Mast Ram
Son of Shri Masadi Son of Shri Surtia aged 58 years, resident
of Village Chandi, Pargna Ghadshyang, Tehsil Kasauli, Distt.
Solun. H. P. do hereby execute nominate and appoint Shri
Shankar Lal Son of Shri Mast Ram, resident of Village
Chandi Pargna Ghadshayang, Tehsil Kasauli, Distt. Solun. H. P.
as my special Power of Attorney to possess the Khasra No.
139, measuring 1 biswa, situated in Village Chandi, Tehsil
Kasauli, Distt. Solun. H. P. raise loan for running the DRASS
on the said Khasra No. 139 from any bank/ Banks. on my behalf
and for me.

I, hereby agree that all acts/^{deeds} done by my
lawfully attorney shall be construed as acts, deeds and
things done by me and I undertake to ratify and confirm
all and whatsoever that my said Attorney shall lawfully
done or cause to be done for me by virtue of this Power of
Attorney hereby given, in the presence of witnesses
executed at Krishna

Witnesses:-

1. श्री राम बल्लभ पटेल
Ram Ballobh Patil
2. श्री राम बल्लभ पटेल
Ram Ballobh Patil

(S. J. C. RAM)

(MAST RAM)

K.T.

Sub-Registrar
Kashanagar, District Solun (H.P.)

27/9



dar

10-90

24/9

S-100-1-30

2/10/1970

For Special Power of Attorney

Sh-Flat Rem 51255 + Cascade
Ap Village Chand
Fish Houseville
West-Culver AL

(11/1)


Dennis D

Dennis D. Adams
Statewide

Special Power of Attorney
Dated:

Adams

29/10/70



ATTACHED WITH S.P.A.)



R.T. 1

(MASC RM)

Executant



पत्रिका

Sub-Registrar
 Korahungarh District Solan (H.P.)

27/4

3-20-13301

1-5 P.A.

27/10/14

149

Dura...

Durga Ram Att.
Stamp Visa

Amal...

Blair

26/1/20